प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022
प्र0इ0रि0 सं. ..271/22.......दिनांक........6/7/2022.....

2. (I) अधिनियमः- धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018
(II) अधिनियम .... धारायें ....
(III) अधिनियम .... धारायें ....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ......भा.द.सं..

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....110... समय ....5.40 pm....
(ब) अपराध घटने का दिन एंव वार......24.02.2022.गुरूवार.25.02.2022. शुकवार
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..... समय .... पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :- सीएमएचओं कार्यालय, सेठी कॉलोनी, जयपुर
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब उत्तर पूर्व करीब 8 किमी
(ब) बीट संख्या.........................जयरामदेही सं.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम- डॉ0 भरत राजपुरोहित
(ब) पिता/पति का नाम- रघुनाथ सिंह
(स) जन्म तिथी- 09.08.1979
(द) राष्ट्रीयता - भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय - प्राईवेट नौकरी
(ल) पता- निवासी 131 पदमावती कॉलोनी-बी, निर्माण नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर

(2) परिवादी /सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम- श्री लक्ष्मीकांत सैनी
(ब) पिता/पति का नाम- श्रीराम सैनी
(स) जन्म तिथी- 02.11.1996
(द) राष्ट्रीयता - भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय - प्राईवेट नौकरी

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण
9. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).
.....
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- ..... रूपये लिप्त सम्पति
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

निवेदन है कि दिनांक 24.02.2022 डॉ0 भरत राजपुरोहित एचसीजी केन्सर सेन्टर जयपुर निवासी 131 पदमावती कॉलोनी-बी, निर्माण नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर एवं श्री लक्ष्मीकांत सैनी एचसीजी केन्सर सेन्टर जयपुर निवासी सी-95 ए, दधीची नगर मुरलीपुरा स्कीम जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर उपस्थित आये। परिवादी डॉ भरत राजपुरोहित ने स्वंय के हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत करी कि "निवेदन है कि HCG हॉस्पीटल मे COO पद पर कार्यरत हुं तथा हमारी हॉस्पीटल मे नई Pharmacy खोलनी है तथा नया License के लिये Apply करना है। जिसके लिये DCO-Mrs Seema Meena ने 20 हजार की डिमांड करी थी। Drug Office द्वारा हर 6 माह मे Audit की जाती है। जिसके तहत 24 Nov 2021 को अस्पताल की Pharmacy मे कार्यवाही कर करीबन 5 लाख का सामान जप्त किया था। DCO द्वारा फिर से जून मे कार्यवाही करने की धमकी दी तथा ऐवज मे 60000/-रूपये की मांग भी की है। तथा कहा गया कि आपकी Pharmacy License तथा जून 2022 की Audit मे भी किसी भी तरह की दिक्कत नही आने देने का आश्वासन दिया है। ये पैसे की डिमांड Mr.Laxmikant Saini से मांग कर रहे है। जो मेरे साथ आये है। हम इन्हे रिश्वत नही देना चाहते है। तथा रंगे हाथो पकडवाना चाहते है। कृपया कर कार्यवाही करे। एसडी- भवदीय Dr Bharat Rajpurohit Hcg Cencer Center Jaipur 131 Padmawati Colony B Nirman Nagar Jaipur 9309393098, LAXMIKANT SAINI HCG CANCER CENTRE JAIPUR C-95 A, DADHICHI NAGAR MURLIPURA SCHEME JAIPUR, MOB. NO- 6377871677 24-02-22, परिवादी डॉ भरत राजपुरोहित द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र तथा मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत मांग का पाया तथा परिवादी ने यह भी बताया कि आरोपी रिश्वत राशि मेरे से नही लेकर मेरे साथ आये श्री लक्ष्मीकांत सैनी से लेगा तथा श्री लक्ष्मीकांत सैनी उक्त कार्यवाही मे परिवादी के रूप मे आपके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही मे उपस्थित रहेगे। जिस पर डॉ0 भरत राजपुरोहित के द्वारा पेश की गयी लिखित रिपोर्ट पर श्री लक्ष्मीकांत सैनी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा सह परिवादी के रूप मे श्री लक्ष्मीकांत सैनी को कार्यवाही मे शामिल किया गया। उक्त शिकायत

सहपरिवादी श्री लक्ष्मीकांत सैनी को जरिये फर्द विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर सुपुर्द किया गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु श्री देवेन्द्र सिंह कानि न. 68 को हमराह सहपरिवादी के रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। श्री देवेन्द्र सिंह कानि. मय सहपरिवादी श्री लक्ष्मीकांत सैनी के वापस ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होकर विभागीय डिजीटल को मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। सहपरिवादी ने बताया कि आरोपी ने कहा कि आपके दस्तावेजात के लिये रिप्लाई किया गया है आप अपने दस्तावेजात पूरे करो बाद मे बात करेगे। इसके उपरान्त पेश की गयी विभागीय टेप रिकार्डर मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो सहपरिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुयी। सह परिवादी ने बताया कि मै कल जो रिप्लाई मे दस्तावेज मांगे है उनकी पूर्ति कर दुंगा।

दिनांक 25.02.2022 को पूर्व मे पाबन्दशुदा सहपरिवादी श्री लक्ष्मीकांत सैनी ब्यूरों कार्यालय मे उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि रिप्लाई मे मांगे गये समस्त दस्तावेजात की छायाप्रतियां ले आया हुं। सहपरिवादी द्वारा लाये गये दस्तावेजात की छायाप्रतियां का एक सेट प्राप्त कर सहपरिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किये गये। तत्पश्चात कानि0 देवेन्द्र सिंह से कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखे हुये विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मंगवाया तथा सहपरिवादी को पुनः डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाईश कर जरिये फर्द सुपुर्द कर रिप्लाई मे मांग गये दस्तावेजात की छायाप्रतियों के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु सहपरिवादी एवं कानि0 देवेन्द्र सिंह को ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया। श्री देवेन्द्र सिंह कानि. मय सहपरिवादी श्री लक्ष्मीकांत सैनी के वापस ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हो विभागीय डिजीटल को मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की। सहपरिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि हम दोनो ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर सीएमएचओ0 कार्यालय सैठी कॉलोनी जयपुर के बाहर पहुंच मेरे पास मौजुद विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर को चालू कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु सीएमएचओ कार्यालय के अन्दर रवाना हुआ था। मै अन्दर जाकर संदिग्ध अधिकारी श्रीमती सीमा मीना से मिला तो उन्होने मुझसे मेरे दस्तावेजात के संबंध मे वार्तालाप की उसके उपरांत मेरे मोबाईल फोन को चेक कर बंद करवा दिया। उसके उपरांत मुझसे रिश्वत राशि मांग के संबंध मे वार्ता की जिसमे मैडम द्वारा मुझसे 50000/-रूपये की रिश्वत की मांग की। मै दस्तावेजात देकर पुनः बाहर आ गया। सहपरिवादी द्वारा ब्यूरों के डिजीटल टेपरिकार्डरों मे दर्ज रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बतायी गयी रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। इसके उपरांत सहपरिवादी श्री लक्ष्मीकांत सैनी की उपस्थिति मे उसके द्वारा दिनांक 24.02.2022 एवं दिनांक 25.02.2022 को हुयी रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय

उक्त लाईसेंस जारी करने की एवज मे 50,000/-रूपये रिश्वत का लेन देन तय होना उक्त रिकार्ड वार्ता से प्रमाणित पाया गया है।

सहपरिवादी ने बताया कि उसकी सगाई एवं परिवार मे शादी होने से वह चार पांच रोज व्यस्त रहेगा। जिस पर सहपरिवादी को अपने सामाजिक कार्य पूर्ण होने के उपरांत ब्यूरों कार्यालय मे उपस्थित हो जाउंगा।

दिनांक 08.03.2022 को सहपरिवादी श्री लक्ष्मीकांत सैनी उपस्थित होकर बताया कि मै अपने सगाई एवं शादी के कार्यक्रम के उपरांत बिमार हो गया था। इसलिये मै ब्यूरों कार्यालय मे उपस्थित नही हो पाया हुं। जिस पर सहपरिवादी से संदिग्ध अधिकारी से सम्पर्क के बारे मे पुछा तो उसने बताया कि मैने मैडम से कोई सम्पर्क नही किया है और ना ही मैडम ने मेरे से कोई सम्पर्क किया है। इसके उपरांत संदिग्ध अधिकारी की उपस्थिति की जानकारी के लिये सहपरिवादी श्री लक्ष्मीकांत सैनी के मोबाईल न0 6377871677 से संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल न0 9929015298 पर लाउडस्पीकर कर वाटसअप कॉल करवाया तो संदिग्ध अधिकारी द्वार फोन रिसिवड नही किया गया। जिस पर सहपरिवादी ने बताया कि भ्र0नि0ब्यूरों विभाग द्वारा तीन चार रोज पहले अन्य ड्रग निरीक्षक को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडा है हो सकता है कि उसके डर से मैडम ने मेरा फोन नही उठाया हो जिस पर कुछ समय तक पुनः इंतजार किया गया किन्तु संदिग्ध अधिकारी द्वारा भी कॉल नही किया। जिस पर सहपरिवादी को हिदायत दी गयी कि जब भी संदिग्ध अधिकारी रिश्वत राशि बाबत सम्पर्क करे तो तुरन्त ब्यूरों को सूचित करते हुये ब्यूरों कार्यालय मे उपस्थित होवे। बाद हिदायत सहपरिवादी श्री लक्ष्मीकांत सैनी को रूखसत किया गया।

दिनांक 16.03.2022 को सहपरिवादी श्री लक्ष्मीकांत सैनी ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि आरोपीयां सीमा मीना ड्रग इन्सपेक्टर (डी0सी0ओ0) का कोई मोबाईल कॉल नही आया है तथा फोन आउट ऑफ सर्विस बता रहा है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने सहपरिवादी के फोन से समय 11.45 एएम पर आरोपीयां के मोबाईल नम्बर से कॉल करवाया जिस पर आरोपीयां का नम्बर आउट ऑफ सर्विस बताया। इस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 14.06.2022 को सहपरिवादी श्री लक्ष्मीकांत सैनी उपस्थित आया व मन् पुलिस निरीक्षक को लिखित मे एक प्रार्थना पत्र देते हुये बताया कि आरोपीयां श्रीमती सीमा मीना का स्थानान्तरण हो गया है अब वह मुझे ना तो कॉल कर रही है और ना ही मैसेज कर रही है। अब मुझसे रिश्वत नही लेगी। सहपरिवादी द्वारा आरोपीयां रिश्वत नही लेने के संबंध मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। सहपरिवादी को मुनासिब

का आभास होने के कारण एवं स्वयं के स्थानान्तरण एवं उसके खिलाफ चल रही जांच से घबराने के कारण रिश्वत राशि का लेन देन नही होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है, आरोपीयां का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध बनना पाया गया।

अतः उक्त आरोपीयां सीमा मीना पुत्री श्री रमेश चन्द्र मीणा निवासी 02, नवल परिवार रिछौली, तहसील-बयाना, जिला भरतपुर वर्तमान निवास आस्था प्राईड, फ्लेट नम्बर 201, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर हाल पद औषधि नियंत्रण अधिकारी (ड्रग इन्सपेक्टर) सीएमएचओं कार्यालय, सेठी कॉलोनी, जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 मे प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(**नीरज भारद्वाज**)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती सीमा मीना, औषधि नियंत्रक अधिकारी (ड्रग इन्सपेक्टर), सीएमएचओ कार्यालय सेठी कॉलोनी, जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 271/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2381-85 दिनांक 6.7.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप-2 विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

6.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।